(152)

23-05-21 CLOSED

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 152/20-21

धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस

कोकिल साव वगै. बनाम नुनचन्द साव वगै.

स्थानीय पुलिस थानाः *निमियाँघाट* से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि

उभय पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा-झंझट, गाली-गलौज होते रहता है, जिससे काफी तनाव है जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक ....18...../...12............२०.20........ को कारण-पृच्छा की मांग की जाती हैं कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु ५०००/- रूपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष -

१	कोकिल साव	उम्र : 59 वर्ष	पिता : मोती साव
२	उमेश प्रसाद साव	उम्र : 45 वर्ष	पिता : कोकिल साव
३	पप्पु कुमार साव	उम्र : 34 वर्ष	पिता : कोकिल साव

सभी साकिनः बरमसिया, थानाः निमियाँघाट, जिलाः गिरिडीह।

- बनाम -

द्वितीय पक्ष -

१	नुनचन्द साव	उम्र : 55 वर्ष	पिता : मोती साव
२	हेमाया देवी	उम्र : 52 वर्ष	पति : मोती साव

सभी साकिनः बरमसिया, थानाः निमियाँघाट, जिलाः गिरिडीह।

लेखापित

24.11.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

24.11.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

Scanned with CamScanner

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 152/2020-21

कोकिल साव वगैरह बनाम- गुरुचन्द साव वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 107)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
24-05-2021	अभिलेख उपस्थापित। निमियाँघाट थाना अप्राथमिकी संख्या 78/20 दिनांक 03.11.20 द्वारा उभय पक्षों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुए। निमियाँघाट थाना से वर्तमान तिथि तक उभय पक्षों के बीच परिशांति भंग होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है। अतः उभय पक्षों के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/-रू. के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में कार्यवाही अवधि की अंतिम तिथि है अतएव कालअवधि बाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 24-05-2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी। 24-05-2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।	

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2021.09.11 12:37:23 +05:30
Location: 192.168.241.8

Scanned with CamScanner